

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

// आवश्यक सूचना //

क्रमांक—1230 / परीक्षा / 2018

जबलपुर, दिनांक—20.08.2018

शीघ्रलेखक ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) तथा शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ—जि०न्या०) में चयनित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन मेरिट के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा काउंसलिंग (Counseling) के माध्यम से किया जाना है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक **02.09.2018 (रविवार)** को तालिका में दर्शित समय पर अनिवार्य रूप से **प्रशासनिक भवन, म०प्र० उच्च न्यायालय, जबलपुर** उपस्थित होना है।

क्रमांक	पद का नाम	समय
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	09.00 बजे
2	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	11.30 बजे
3	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ)	04.00 बजे


(नोट—स्टेनोटाईपिस्ट, रा०वि०से०प्रा० में चयनित अभ्यर्थियों के जिले का आवंटन रा०वि०से०प्रा० द्वारा ही किया जावेगा।)

यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक व समय में उपस्थित नहीं होता है अथवा विलम्ब से उपस्थित होता है अथवा काउंसलिंग छोड़कर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के जिले का आवंटन उसी दिन परीक्षा सेल द्वारा किसी भी जिले में किया जा सकेगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तथ्यों का विशेष ध्यान रखना है।

1. चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन मुख्य परीक्षा में उनकी मेरिट (अंतिम चयन सूची के क्रमानुसार) के आधार पर वरीयता देते हुए वह जिस श्रेणी में चयनित हुए हैं उसी श्रेणी अनुसार किया जावेगा।
2. अभ्यर्थी काउंसलिंग स्थल में निर्धारित तिथि में समय से 30 मिनट पूर्व उपस्थित हों।
3. निर्धारित दिवस में अभ्यर्थी को अपने साथ अपना वैधानिक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस आदि) लेकर स्वयं ही उपस्थित होना है। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि **फोटोयुक्त**

मूल-पहचान पत्र की फोटो कॉपी/डुप्लीकेट/स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी।

4. काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को जिला चयन के लिए सोचने-समझने का अधिक अवसर नहीं रहेगा, अतः चयनित अभ्यर्थी पूर्व में ही अपनी सुविधानुसार यह सुनिश्चित कर लें कि क्रमानुसार कौन-कौन से जिले उनके लिए अनुकूल है।
5. काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी द्वारा अपने पसंदीदा जिले के लिए किसी भी प्रकार का संवाद अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं काउंसलिंग दिवस में यदि किसी अभ्यर्थी को उसका पसंदीदा जिला नहीं मिलता है, तो इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) अथवा अधिकारियों से व्यक्तिगत संपर्क स्वीकार्य नहीं होगा।
6. काउंसलिंग का आयोजन केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए किया गया है, वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रतीक्षा सूची में स्थान दिया गया है वे काउंसलिंग दिवस में उपस्थित न हो।
7. जिला आवंटन के पश्चात् नियुक्ति आदेश संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रेषित किया जावेगा इस संबंध में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) एवं दूरभाष संपर्क स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल में पहुँचने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. काउंसलिंग कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा कदाचरण करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।
10. काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी के साथ आये अन्य परिजनों को काउंसलिंग स्थल में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।


(राजीव कुमार श्रीवास्तव)
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा)
20.9.18